



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270408
CG-DL-E-23022026-270408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, सोमवार, 23 फरवरी, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 133]

NEW DELHI, MONDAY, 23 FEBRUARY, 2026/PHALGUNA 4, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 139(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग), की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 820 (अ), तारीख 4 नवंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी, जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 6 नवंबर, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से आक्षेप या सुझाव केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के, नियम 10 के उपनियम(1क) में, पहले परंतुक में, “30 जून, 2024” अंको, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “30 जून, 2026” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 13035/28/2014-पी.पी-1 (खंड V)]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 368(अ) तारीख 3 जून, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

G.S.R. 139(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 820 (E), dated the 04th November, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 06th day of November, 2025;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, in sub-rule (1A), in the first proviso, for the figures, letters and word “30th June, 2024”, the figures, letters and word “30th June, 2026” shall be substituted.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol. V)]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was last amended, *vide number* G.S.R. 368(E) dated the 03rd June, 2025.